



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:17410

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1488/2026

अल हबीब हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके निदेशक डॉ. अब्दुल्लाह खानयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लखनऊ एवं
3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अकरम आजाद, अभय कुमार सक्सेना, मो. तैयब, सैयद फारूक अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फारूक अहमद और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेंद्र मोहन शुक्ला तथा अधिवक्ता श्री सुमित चौहान, जिन्होंने विपक्षी संख्या 4 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, को सुना गया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा जारी दिनांक 24.01.2026 के एक कार्यालय ज्ञापन की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने सालारगंज, बहराइच में 'अल हबीब अस्पताल' के नाम से एक अस्पताल स्थापित किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच ने अस्पताल के 10 बिस्तरों पर आईपीडी और ओपीडी दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र जारी किया है, जो 15.05.2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विपक्षी संख्या 4 ने आवासीय क्षेत्र में अस्पताल चलाए जाने के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक जाँच की और 25.07.2025 को जिलाधिकारी, बहराइच के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भवन स्वीकृति मानचित्र, बायो-मेडिकल कचरा निस्तारण प्राधिकार पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र, नगर पालिका परिषद द्वारा जारी रसीदें और अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि उसने वाहनों की पार्किंग के लिए तीन बिस्वा का एक खाली भूखंड लिया है और उसने पार्किंग की व्यवस्था के लिए एक सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत को निस्तारित करने की सिफारिश की।

5. दिनांक 22.01.2026 को, विपक्षी संख्या 4 ने रिट-सी संख्या 8491 सन् 2026 दायर की। रिट याचिका पहली बार 09.02.2026 को सुनवाई के लिए ली गई, जिस तिथि पर न्यायालय को यह सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस 24.01.2026 को ही रद्द किया जा चुका है।

6. पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 में निहित है, जो इस प्रकार प्रावधान करती है: -

"32. पंजीकरण का रद्द किया जाना.-

(1) यदि किसी नैदानिक स्थापन के पंजीकृत होने के बाद किसी भी समय, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि, - (क) पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) नैदानिक स्थापन के प्रबंधन का कार्य जिस व्यक्ति को सौंपा गया है, उसे इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो वह नैदानिक स्थापन को तीन महीने के भीतर कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी कर सकता है कि नोटिस में उल्लिखित कारणों से इस अधिनियम के तहत उसका पंजीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए। (2) यदि नैदानिक स्थापन को एक उचित अवसर देने के बाद, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो वह एक आदेश द्वारा, किसी अन्य कार्यवाई जो वह ऐसे नैदानिक स्थापन के विरुद्ध कर सकता है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका पंजीकरण रद्द कर सकता है। (3) उप-धारा (2) के तहत दिया गया प्रत्येक आदेश तब प्रभावी होगा- (क) जहाँ ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की गई है, वहाँ ऐसी अपील के लिए विहित अवधि की समाप्ति पर तत्काल प्रभाव से; और

(ख) जहाँ ऐसी अपील दाखिल की गई है और उसे खारिज कर दिया गया है, वहाँ ऐसी अपील के खारिज होने के आदेश की तिथि से: बशर्ते कि प्राधिकारी, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए पंजीकरण रद्द करने के बाद, नैदानिक स्थापन को काम जारी रखने से तत्काल रोक सकता है, यदि मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई आसन्न खतरा हो।"

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि दिनांक 24.01.2026 का आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और न

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ही आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था। इसलिए, यह आदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 (1) और (2) में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

8. दिनांक 24.01.2026 के आक्षेपित रद्दीकरण आदेश में कहा गया है कि यह उसी तिथि की एक जाँच रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है और दिनांक 24.01.2026 की जाँच रिपोर्ट की कोई प्रति भी याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम या नियमों के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों का उत्तर देते हुए, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर यह दलील दी है कि जाँच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था लेकिन उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। लिखित निर्देशों की प्रति को पत्रावली पर लिया जाता है।

10. निर्देश इस बिंदु पर मौन हैं कि जाँच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए याचिकाकर्ता को किस प्रकार बुलाया गया था और याचिकाकर्ता ने कोई उत्तर प्रस्तुत किया था या नहीं। यह कथन कि कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, यह नहीं दर्शाता है कि क्या कोई उत्तर बिल्कुल प्रस्तुत ही नहीं किया गया था या जो उत्तर प्रस्तुत किया गया था वह संतोषजनक नहीं पाया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील है कि जाँच समिति ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और चूंकि कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता के पास जाँच समिति के समक्ष कोई स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं था। इसके अतिरिक्त, निर्देशों में भी यह नहीं कहा गया है कि दिनांक 24.01.2026 की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था और स्वयं जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को ही, आक्षेपित रद्दीकरण आदेश पारित कर दिया गया है।

11. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी कि पंजीकरण रद्द होने के बाद, याचिकाकर्ता ने क्लिनिक चलाने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच से पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। उन्होंने दलील दी है कि चूंकि याचिकाकर्ता अब एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रहा है, इसलिए यह याचिका निष्फल हो गई है क्योंकि एक आयुर्वेदिक क्लिनिक और एक एलोपैथिक अस्पताल एक ही परिसर में एक साथ नहीं चलाए जा सकते हैं।

12. उपरोक्त आपत्ति के उत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसे परिसर में आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाने पर रोक लगाता हो जहाँ एक एलोपैथिक अस्पताल चल रहा हो। उन्होंने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने अपने परिसर में बाह्य रोगी आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाने की अनुमति के लिए आवेदन किया था और जो अनुमति दी गई है, वह विशेष रूप से याचिकाकर्ता पर कई प्रतिबंध लगाती है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने आईपीडी आयुर्वेदिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक क्लिनिक का पंजीकरण अस्थायी है और यह 31.03.2026 को व्यपगत हो जाएगा तथा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यदि दिनांक 24.01.2026 के आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन द्वारा याचिकाकर्ता के पंजीकरण का किया गया अवैध रद्दीकरण अपास्त कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता उक्त परिसर में आयुर्वेदिक क्लिनिक नहीं चलाएगा।

13. आक्षेपित आदेश नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अस्पताल का कामकाज बंद करने का निर्देश देता है जबकि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 (2) यह प्रावधान करती है कि पंजीकरण रद्द करने का आदेश तभी प्रभावी हो सकता है जब कोई अपील दाखिल न की गई हो या दाखिल की गई अपील खारिज कर दी गई हो। इसलिए, अस्पताल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश कानून में अनुमेय नहीं है और यह अधिनियम की धारा 32 (2) में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

14. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जब याचिका में किए गए अभिवचनों और विद्वान ए.सी.एस.सी. को प्रदान किए गए निर्देशों तथा दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को ही पारित किया गया है, तो यह आदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा 32 में निहित प्रावधान के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है और यह कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है।

15. तदनुसार, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा पारित आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.01.2026 को एतद्वारा रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा प्रदान किए गए दिनांक 15.05.2025 के चिकित्सा प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र के तहत पंजीकृत अस्पताल चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच को नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा 32 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही करने की छूट प्रदान की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी,)

10 मार्च, 2026

-अमित के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"